

**सीईएन क्रमांक 01/2026 (एएलपी) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

Q.1 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि क्या है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 15-05-2026 है।

Q.2 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14-06-2026 (23.59 बजे) है।

Q.3 आवेदन जमा करने के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16-06-2026 (23.59 बजे) है।

Q.4 आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं?

उत्तर: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही संशोधन विंडो खुलेगी। संशोधन विंडो 17-06-2026 से 26-06-2026 (रात 11:59 बजे) तक सक्रिय रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहता है, तो वह प्रत्येक बार 250/- रुपये (अप्रतिदेय) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। हालांकि, 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चयनित आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है।

Q.5 क्या दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर: दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

Q.6 आवेदन करने की पात्र आयु क्या है?

उत्तर: कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 5.0, 5.1 और 5.2 देखें।

Q.7 आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है?

उत्तर: आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 01-07-2026 है।

Q.8 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है?

उत्तर: कृपया विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक-ए को देखें।

- Q.9 मेरे अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
- उत्तर: नहीं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले होनी चाहिए।
- Q.10 सहायक लोको पायलट के पद के लिए चिकित्सा योग्यता के क्या मानक हैं?
- उत्तर: कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 3.0 और अनुलग्नक-ए का संदर्भ लें।
- Q.11 "स्व-स्क्रीनिंग मेडिकल घोषणा" क्या है और मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना होगा?
- उत्तर: आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्व-जांच चिकित्सा घोषणा पत्र शुरू किया गया है, जिसमें उम्मीदवार को बोलने, सुनने, देखने (लेसिक सर्जरी न होने सहित), मानसिक स्वास्थ्य, पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों (जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप) और मनो-सक्रिय पदार्थों के सेवन से संबंधित न्यूनतम निर्धारित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होने की घोषणा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में स्व-जांच के लिए अंतर्निहित सत्यापन शामिल होगा, जिससे उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने की अपनी पात्रता/अपात्रता का आकलन कर सकेंगे। प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर, एक डाउनलोड करने योग्य चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे उम्मीदवार को सीबीएटी के दिन सामान्य चिकित्सक और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र केवल केंद्रीय/राज्य सरकार के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किए जाने पर ही मान्य होगा।
- Q.12 फीस में छूट के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
- उत्तर: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार शुल्क में छूट के पात्र हैं। कृपया सीईएन के पैरा 7.0 (2) देखें।
- Q.13 क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?
- उत्तर: एप्लिकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

Q.14 क्या मैं एक ही आरआरबी या एक से अधिक आरआरबी में एक से अधिक आवेदन जमा कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं। उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकता है, और प्रति उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जो आवेदक एक से अधिक आवेदन जमा करेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ RRB और RRC की भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

Q.15 मैंने लेसिक सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

उत्तर: जिन उम्मीदवारों की लेसिक सर्जरी हुई है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक ए1 आवश्यक है। कृपया पैरा 3.0 नोट (ख) देखें।

Q.16 खाता बनाने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर: उम्मीदवारों उनके पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए।

Q.17 मैंने अप्रैल 2025 से पहले जारी किए गए CEN 2025 के लिए एक खाता बनाया है, क्या मुझे इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक और खाता बनाना चाहिए?

उत्तर: यदि किसी उम्मीदवार ने 2024/2025 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात् सीईएन संख्या 01/2026) के लिए लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए।

Q.18 खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: यदि उम्मीदवार ने अभी तक "खाता नहीं बनाया है", तो उन्हें पहले "खाता बनाना" होगा। इस CEN के लिए आवेदन भरने से पहले, आवेदन लिंक के होम पेज पर "आवेदन करें" टैब पर क्लिक करें, फिर "खाता बनाएं" पर क्लिक करें। ऑनलाइन "खाता बनाएं" फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष वर्ण और संख्याएँ होनी चाहिए। खाता सफलतापूर्वक बन जाने के बाद उम्मीदवारों को पुष्टिकरण एसएमएस और ईमेल प्राप्त होगा।

Q.19 क्या खाता बन जाने के बाद मैं 'खाता बनाएं' के विवरण में बदलाव कर सकता हूँ?

उत्तर: खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरी गई जानकारी को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।

Q.20 यदि मैंने अपना नाम बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर: आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज होना आवश्यक है, जिसे सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी के समय जमा करना होगा। नाम परिवर्तन या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले होनी चाहिए। आवेदकों को 'खाता बनाएं' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम दोनों भरने होंगे। ऐसे मामलों में, आवेदन में दोनों नाम दिखाई देंगे।

Q.21 आधार कार्ड सत्यापन क्यों आवश्यक है?

उत्तर: भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड का सत्यापन सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी यह ज़रूरी है। आरआरबी किसी भी तृतीय पक्ष के साथ आधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं करेंगे और न ही इस केंद्रीय अधिसूचना के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेंगे।

Q.22 लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: आवेदन के होम पेज पर जाएं। 'आवेदन करें' टैब के अंतर्गत, ड्रॉपडाउन मेनू से 'पहले से खाता है' चुनें। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करके, फिर पासवर्ड और कैप्चा डालकर अपने खाते में साइन इन करें।

Q.23 अगर मैं अपने अकाउंट में लॉग इन करने का पासवर्ड भूल जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: लॉगिन पेज के "अपने खाते में साइन इन करें" विकल्प पर क्लिक करें। आधार नंबर या पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड केवल उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।

Q.24 क्या मैं अपने खाते का पासवर्ड रीसेट/बदल सकता हूँ और क्या मैं अपना 'चुना हुआ RRB' बदल सकता हूँ?

उत्तर: जी हां, लॉगिन करने के बाद "ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ" के ऊपरी दाएं कोने में उपलब्ध "पासवर्ड बदलें" विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट/बदला जा सकता है। नहीं, आवेदन जमा करने के बाद आप 'चुने गए आरआरबी' को नहीं बदल सकते।

Q.25 लॉगिन करने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: इसमें पाँच मुख्य भाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफाइल दस्तावेज़ अपलोड करें, पूर्वावलोकन और प्राथमिकताएँ और सबमिट करें। सभी विवरण भरना शुरू करें, सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरें। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद, सहेजें और अगले भाग पर जाएँ। इसी तरह अंतिम भाग यानी पूर्वावलोकन और प्राथमिकताएँ और सबमिट करें तक पहुँचें, जहाँ उम्मीदवार अंत में भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को RRB से ईमेल और SMS के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। इसके बाद, उम्मीदवार पंजीकरण संख्या सहित जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

**टिप्पणी:**जिन उम्मीदवारों ने 2025 के आरआरबी नोटिफिकेशन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय अपने पिछले सहेजे गए डेटा से व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता और प्रोफाइल दस्तावेज़ अपलोड करें (फोटो और हस्ताक्षर) के संबंधित पृष्ठों पर जानकारी की सटीकता की जांच कर लें और फिर भुगतान के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरी गई जानकारी (चुने गए आरआरबी सहित) में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

Q.26 क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, भुगतान करने से पहले अपने आवेदन के विवरण में बदलाव कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार विवरण संपादित नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वरीयता और पूर्वावलोकन एवं जमा पृष्ठ पर आवेदन पूर्वावलोकन में अपने द्वारा भरे गए विवरणों की सटीकता की पुनः जांच कर लें और यदि सभी जानकारी सही है तो ही आवेदन जमा करें, क्योंकि भुगतान हेतु आवेदन जमा करने के बाद कोई परिवर्तन अनुमत नहीं है। यदि आवेदन पूर्वावलोकन में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर से सटीकता के लिए आवेदन का पूर्वावलोकन करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद, आवश्यक परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरणों के अलावा किसी अन्य विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वह 17-06-2026 से 26-06-2026 (23:59 बजे) तक संशोधन अवधि के दौरान प्रत्येक बार 250/- रुपये (अप्रतिदेय) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है।

- Q.27 मेरे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि मेरे आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र में लिखी जन्मतिथि से अलग है। मुझे आवेदन में कौन सी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी?
- उत्तर: आवेदन जमा करने से पहले, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्रों में दर्ज जन्मतिथि को सही करना आवश्यक है। हालांकि, आवेदन में केवल मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि ही दर्ज करनी होगी।
- Q.28 क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपनी जानकारी संपादित कर सकता हूँ?
- उत्तर: जी हां, 'खाता बनाएं' के दौरान दर्ज की गई जानकारी के अलावा आवेदन में मौजूद किसी भी अन्य जानकारी को आवेदन जमा होने और पंजीकरण संख्या जनरेट होने तक संपादित किया जा सकता है।
- Q.29 मैंने आवेदन में अपनी जाति/समुदाय गलत बताया है। क्या आवेदन जमा करने के बाद मैं अपनी जाति/समुदाय में बदलाव कर सकता हूँ?
- उत्तर: जी हां, संशोधन अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान करके विवरणों में संपादन की अनुमति है। हालांकि, संशोधन अवधि समाप्त होने के बाद विवरणों में संपादन की अनुमति नहीं है। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन के अनुसार ही समुदाय और जाति की जानकारी देनी होगी, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी केवल 'अनारक्षित' श्रेणी के अंतर्गत ही मानी जाएगी, बशर्ते आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- Q.30 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?
- उत्तर: केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे उम्मीदवार जिन्होंने निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति दी है, वे ही 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ उठा सकते हैं। कृपया सीईएन के पैरा 17.0 (ई) देखें।
- Q.31 मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ कैसे उठा सकता हूँ?
- उत्तर: यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के समुदाय अनुभाग में, वे 'क्या आप परीक्षा के लिए निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं' के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन विकल्प से 'हाँ' चुनकर और 'निकटतम रेलवे स्टेशन' भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं। केवल निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों को ही अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।

Q.32 मुझे निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे मिलेगी?

उत्तर: पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उम्मीदवारों (जिन्होंने निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति दी है) के मामले में, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। वे टिकट बुकिंग काउंटर पर ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन में आरक्षण करा सकेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को यात्रा के लिए अपना मूल जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र का मूल प्रमाण साथ रखना होगा; अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और उनसे तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

Q.33 ईबीसी क्या है?

उत्तर: ईबीसी का अर्थ है 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग'; आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से भ्रमित नहीं करना चाहिए।

Q.34 ईबीसी उम्मीदवारों को क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं? क्या ईबीसी आरक्षण के लाभों के लिए पात्र हैं?

उत्तर: ईबीसी उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में छूट' दी जाती है, लेकिन वे आरक्षण के लाभों के लिए पात्र नहीं हैं।

Q.35 यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि किसी उम्मीदवार ने पूर्व-बहुमत वर्ग (ईबीसी) के रूप में शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, तो उसके पास वैध आय प्रमाण पत्र (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी किया गया इज्जत एमएसटी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उसे ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और दस्तावेज़ सत्यापन के समय इन्हें जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 7.3 देखें।

Q.36 अल्पसंख्यकों में कौन-कौन शामिल हैं?

उत्तर: अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (ज़ोरोस्ट्रियन) शामिल हैं, जिन्हें उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है जहां उम्मीदवार रहता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त किसी भी संशोधन/हटाने/शामिल करने

की शर्त लागू होगी।

Q.37 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं? दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यदि कोई उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा का शपथपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

उत्तर: अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में छूट' दी जाती है और वे आरक्षण के लाभों के पात्र नहीं हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा के लिए एक शपथ पत्र (सीईएन के अनुलग्नक वी के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करने वाला गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Q.38 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग- एनसीएल / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग का दर्जा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर: इस केंद्रीय आरक्षण प्राधिकरण (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) और अल्पसंख्यक वर्ग (EWS) की जाति/श्रेणी स्थिति को ही पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन विचारणीय नहीं होगा। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत CEN के पैरा 8.0 से 8.8 (ऊर्ध्वधर आरक्षण) देखें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र हो। दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा।

Q.39 यदि उम्मीदवारों के पास राज्य के प्रारूप में सामुदायिक प्रमाण पत्र है, तो क्या वे आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर: पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैराग्राफ 8.4 देखें।

Q.40 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाने का मानदंड क्या है?

उत्तर: संदर्भ देना पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.9 देखें।

- Q.41 मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ। क्या मैं पूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ?  
उत्तर: पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 10.2 और 10.3 देखें।
- Q.42 मैंने पूर्व सैनिक के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। क्या मैं इस पूर्व सैनिक भर्ती के लिए पूर्व सैनिक लाभों का हकदार हूँ?  
उत्तर: पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 10.4 देखें।
- Q.43 दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना चाहिए?  
उत्तर: केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग, जिसमें रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शामिल है, में कार्यरत उम्मीदवार (जिनमें प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवार भी शामिल हैं) को दस्तावेज़ सत्यापन की तारीख पर अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- Q.44 आवेदन जमा करने के बाद, मैंने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करना होगा?  
उत्तर: जी हाँ। यद्यपि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा में शामिल हो गए हैं, फिर भी आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- Q.45 आवेदन में, शैक्षणिक योग्यता पृष्ठ पर केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूँ?  
उत्तर: क्लिक 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें।
- Q.46 कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं?  
उत्तर: अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:  
1. जाति प्रमाण पत्र 2. हस्ताक्षर 3. लाइव फोटो के मिलान न होने की स्थिति में, ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक-IX (उपयुक्त घोषणाओं की पुष्टि के बाद) अपलोड करना होगा, जिस पर प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, जो पहचान के वैध प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
- Q.47 किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड करने चाहिए?  
उत्तर: पूरी जानकारी के लिए पैराग्राफ 13.5.1 देखें।

Q.48 मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर: शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के ज़रिए किया जा सकता है। शुल्क के अतिरिक्त, लागू होने वाले प्रोसेसिंग शुल्क भी उम्मीदवार से लिए जाएंगे। कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की प्रामाणिकता और इस सीईएन के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि और समय के बारे में सतर्क रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

Q.49 मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है और क्या मैं इसका प्रिंटआउट ले सकता हूँ?

उत्तर: ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की अनंतिम स्वीकृति सफल होने के बाद ही होगी। आरआरबी द्वारा भुगतान किया जाएगा। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी और उसके बाद उम्मीदवार आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

Q.50 मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मुझे ई-कॉल लेटर भी मिल गया है। क्या इसका मतलब यह है कि भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में मेरी स्वीकृति हो गई है?

उत्तर: प्रवेश भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम रहेगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का यह अर्थ नहीं है कि आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और सत्यता का सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाएगा। प्रस्तुत किया गया जानकारी पर बाद का भर्ती चरणों यानी मेडिकलपरीक्षा/दस्तावेज सत्यापन।

Q.51 सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है?

उत्तर: कृपया सीबीटी पाठ्यक्रम के विस्तृत सीईएन के पैरा 12.1 और 12.2 देखें।

Q.52 भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मुझे समय-सारणी के बारे में कैसे पता चलेगा?

उत्तर: प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1), द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2), कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई)।

परीक्षा के कार्यक्रम और स्थान के बारे में जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उचित समय पर दी जाएगी।

परीक्षा के किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में परिवर्तन के लिए

किसी भी परिस्थिति में अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Q.53 क्या सीसीए के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?

उत्तर: नहीं। सीसीए के उम्मीदवारों को केवल आयु में छूट मिलेगी। विस्तृत सीईएन के पैरा 5.1 देखें।

Q.54 परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

उत्तर: केवल सीबीटी-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार ही परीक्षा शुल्क की वापसी (बैंक शुल्क काटकर) के पात्र हैं।

Q.55 मैंने आईटीआई/एनटीसी और एनएसी किया है। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.56 मैंने आईटीआई/एनटीसी और डिप्लोमा किया है। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.57 मैंने आईटीआई/एनटीसी और डिग्री की है। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.58 मैंने एनएसी और डिप्लोमा किया है। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.59 मैंने NAC और डिग्री पूरी कर ली है। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.60 मैंने डिप्लोमा और डिग्री दोनों कर ली हैं। क्या मैं इन दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। "Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता संबंधी विवरण भरें और फिर से "Add" बटन पर क्लिक करें।

Q.61 मेरे पास ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: केवल कोर्स कम्प्लेटेड एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार्य है।

Q.62 आईटीआई/एनटीसी उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग बी के लिए परीक्षा का ट्रेड क्या है?

उत्तर: आईटीआई/एनटीसी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए, सीबीटी-2 के भाग बी के लिए परीक्षा ट्रेड उनका संबंधित ट्रेड है।

Q.63 'CCAA' के उम्मीदवारों के लिए CBT-2 के भाग B की परीक्षा का स्तर क्या है?

उत्तर: 'CCAA' योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए, CBT-2 के भाग B के लिए परीक्षा ट्रेड उनका संबंधित ट्रेड है।

Q.64 डिप्लोमा/डिग्री उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग बी की परीक्षा का स्तर क्या है?

उत्तर: विस्तृत सीईएन का पैरा 12.2 देखें।

Q.65 क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी?

उत्तर: हाँ, सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन प्रणाली होगी।

Q.66 मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए?

उत्तर: सीबीटी परीक्षा के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में से किसी एक को परीक्षा माध्यम के रूप में चुनना होगा। सीबीटी परीक्षा के प्रश्न चयनित भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रदर्शित किए जाएंगे। आवेदन के समय भाषा का चयन करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

Q.67 आरआरबी की 'रिफंड पॉलिसी' क्या है?

उत्तर: वापसी नीति: भुगतान करने के बाद, आवेदक यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान अप्रतिदेय है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में वापसी की मांग नहीं कर सकता है।

Q.68 फीस की वापसी के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

उत्तर: सीबीटी-1 में शामिल होने वाले उम्मीदवार विस्तृत सीईएन के पैरा 7.0 के अनुसार 'शुल्क वापसी' (बैंक शुल्क काटकर) के पात्र हैं। गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

नोट: संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

Q.69 आधार से लिंक न होने पर शुल्क वापसी कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: यदि किसी उम्मीदवार का आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है, तो वह शुल्क वापसी के लिए परिवार के किसी सदस्य का आधार से जुड़ा बैंक खाता प्रदान कर सकता है। (पैरा 7.4 देखें)

Q.70 आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?

उत्तर: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने आवेदन में दर्ज पंजीकरण संख्या को ध्यान में रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा।

Q.71 आवेदन अस्वीकृत होने के संभावित कारण क्या हैं?

उत्तर: कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 16.0 देखें।

Q.72 आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर: हेल्पलाइन उम्मीदवारों के लिए: सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए: ईमेल: [rrb.help@csc.gov.in](mailto:rrb.help@csc.gov.in)

फ़ोन: 9592-001-188 और 0172-565-3333

(सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)